2012/00033

न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर

बईजलास यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 61/2012

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नूरदीन पुत्र मोडू खां		1. तहसीलदार फलौदी
2. हबीब पुत्र कमालदीन		
3. निजामदीन पुत्र कमालदीन		
4. जानु खां पुत्र कमालदीन		
5. भूर खां पुत्र कमालदीन		
6. हाजी खां पुत्र मोडू खां		
7. सरादीन पुत्र मोडू खां		
सभी जातियान मुसलमान		
निवासीगण– बापीणी, तहसील फलौदी		

वाद अन्तर्गत धारा 15,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. सिकन्द घोषी अधिवक्ता वादीगण
2. सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांकः– 24/7/19

वादीगण के वाद का सारांश इस प्रकार है की ग्राम बापिणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा, खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा आया हुआ है जिसमें वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त है जो कि भूलवंश से मरीमा बेवा गैर अली जाति मुसलमान के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर हम वादीगण के पूर्वजो का 160 वर्ष से कब्जा एंव काश्त है तथा उक्त भूमि पर वादीगण निवास करते है जिसमें हमारी ढाणी एवं टांके व पशुओं के बाडे बने हुवे है। वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा हमारों काश्त के खसरा संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा के 1/6 हिस्सा पर, खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा भूमि के 1/4 हिस्सा भूमि पर मृत औरत मरीमों बेवा गैर अली के नाम भूलवंश दर्ज कर दी।

ग्राम बापीणी के संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा के 1/6 हिस्सा पर, खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा भूमि के 1/4 हिस्सा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

इस घोषणा के माफिक राजस्व रेकर्ड में मृत मुसमात मरीमों के स्थान पर वादीगण को खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमायी जावें। खसरा संख्या 213,214 की भूमि के

सहायक कलक्टर
फलौदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकर्ड में रहन रखना इन्द्राज किया गया है उक्त इन्द्राज को दुरुस्त कर रहनदारो के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीगण की उपरोक्त भूमि बाबत् दिनांक 16.01.2012 एवं दिनांक 27.01.2012 को निष्पादित हकतर्कनामा एवं शुद्धिपत्र को वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध प्रभावहीन व शून्य घोषित किया जावें। तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस आमर की जारी फरमाई जावे की वादीगण की कब्जा काश्त भूमि पर किसी प्रकार की रद्दोबदल नही करें तथा न ही किसी प्रकार से बेदखल करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की ग्राम बापिणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा, खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा आया हुआ है जिसमें वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त है जो कि भूलवंश से मरीमा बेवा गैर अली जाति मुसलमान के नाम दर्ज है। ग्राम बापीणी के संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा के 1/6 हिस्सा पर, खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा भूमि के 1/4 हिस्सा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पाया की वादीगण का वाद मुख्य रुप से खसरा नम्बर 213 व 214 ग्राम बापिणी की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का है, वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि वक्त बंदोबस्त एवं उससे पूर्व वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो। वादीगण अपने वाद को दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। पैरोंकार सरकार ने राजस्व मण्डल अजमेर की डबल बेंच के निर्णय भगवान व अन्य बनाम प्रभूदयाल के कायम मूकाम व अन्य आर आर टी –2018() का निर्णय पेश किया है। जिसमें मंडल की डबल बेच ने स्पष्ट निर्णय पेश किया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद डिकी नही किया जा सकता है। सम्पूर्ण विचारण एवं अवलोकन पश्चात वादी का दावा दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों से साबित नही होने एवं मण्डल के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में खारिज योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, खारिज का डिकी पर्चा अलग से मूर्तिब हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकन नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को सरे इजलास सुनाया गया है।

यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर
फलौदी

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.09 11:03:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: